<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> {समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

<u>फौज.प्र.क. : 899 / 2014</u> संस्थित दि: 29 / 09 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,	
जिला बालाघाट (म.प्र.)	अभियोगी

विरुद्ध

मूलचंद पिता नारायण बहीरे, उम्र 27 साल, जाति गढेवाल,

निवासी भीड़ी थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.) आ

-<u>:: निर्णय ::</u>-

(आज दिनांक 29/09/2014 को घोषित किया गया)

- (01) आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि आरोपी दिनांक 21/09/2014 को समय 07::30 बजे ग्राम भीड़ी स्कूल के पास आरोपी की दुकान थाना परसवाड़ा के अन्तर्गत देशी प्लेन 13 क्वार्टर कीमती 650/— रूपये की शराब अवैध रूप से बिना आज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा—पत्र के रखे हुए पाये गये।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.09.2014 को आरक्षी केन्द्र परसवाडा का उपनिरीक्षक एल.एस.धुर्वे कस्वा भ्रमण के लिये रवाना हुआ तो कस्वा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भीड़ी में रहने वाला मूलचंद अपनी दुकान में अवैध रूप से शराब रखे हुए है मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर समयभाव के कारण बिना तलाशी वारण्ट प्राप्त कर हमराह स्टाप के साथ समक्ष गवाहों के मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से देशी प्लेन 13 क्वार्टर कीमती 650/— रूपये की शराब अवैध रूप से रखे पाया गया। आरोपी से शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपी ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी से शराब को समक्ष गवाहों के जप्त कर, आरोपीको गिरफ्तार कर, आरोपी के विरूद्ध

अपराध क. 138 / 14 अन्तर्गत धारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 34 (क) के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- (03) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाई व समझाई गई।
- (04) आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-
 - (अ) क्या आरोपी दिनांक 21/09/2014 को समय 07::30 बजे ग्राम भीड़ी स्कूल के पास आरोपी की दुकान थाना परसवाड़ा के अन्तर्गत देशी प्लेन 13 क्वार्टर कीमती 650/— रूपये की शराब अवैध रूप से बिना आज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा—पत्र के रखे हुए पाये गये ?

—:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::–

- (05) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।
- (06) आरोपी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
- (07) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेचछयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
- (08) आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 1000 / रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दिण्डत किया जाता है।

 -//03// फौज.प्र.क. : 899/2014

 अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपी को एक माह

(09)के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।

प्रकरण में जप्तशुदा 13 क्वार्टर देशी प्लेन शराब मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

ATTACHED ATT